<u>न्यायालय :– सहायक कलक्टर (फास्ट – ट्रेक) शाहपुरा जिला – जयपुर</u>

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस
वाद संख्या :– 89/2022

शीर्षक

1. अशोक मीणा पुत्र बी आर मीणा निदेशक श्री लक्ष्मी महिमा कॉलोनाईजर प्रा0लि0 निवासी प्लाट नंबर 194, प्रताप नगर विस्तार, मुरलीपुरा, जयपुर।
2. रामचन्द्र अग्रवाल पुत्र बी एन अग्रवाल जाति महाजन निदेशक श्री लक्ष्मी महिमा कॉलोनाईजर प्रा0 लि0 निवासी प्लॉट नंबर 9–10, गोपाल नगर ए, गोपालपुरा बाईपास, जिला जयपुर।

–वादीगण

बनाम

1. गुलाब देवी पत्नी मोहन लाल
2. मंजू देवी पुत्री मोहनलाल
3. महावीर प्रसाद पुत्र मोहनलाल
4. सुरेश कुमार पुत्र मोहन लाल
समस्त जाति ब्राह्मण, ढाणी देवा की ग्राम बिदारा, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।
5. मोतीराम
6. रामदास
7. रामबक्श
8. रामेश्वर
9. सीताराम
पुत्रान चौथूराम जाति अहिर निवासी ढाणी देवा की, ग्राम बिदारा, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0।

–प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत् बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा–53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

निर्णय दिनांक 27/7/2023

वाद संक्षेप इस प्रकार है कि हाल खसरा नंबर 1079 रकबा 4.3100 है0 वाकै ग्राम बिदारा, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित है। उक्त वर्णित भूमि में वादी संख्या 1 का सम्पूर्ण भूमि में 7/48 हिस्से का खातेदार काश्तकार है तथा वादी संख्या 2 का सम्पूर्ण भूमि में 7/48 हिस्से का खातेदार काश्तकार है अर्थात वादीगण का 14/48 हिस्से के खातेदार है तथा इस प्रकार वादीगण अपने अपने हिस्से पर संलग्न नजरी नक्शा प्रदर्श 1 के अनुसार काबिज काश्त है तथा मौके पर मौखिक विभाजन के अनुसार हरे रंग से दर्शित बीच के हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है तथा पिले रंग से दर्शित हिस्से पर प्रतिवादीगण संख्या 5 लगा0 9 काबिज काश्त है। इस प्रकार समस्त पक्षकारान मौके पर विभाजन में प्राप्त अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। सम्पूर्ण विवादग्रस्त भूमि आराजी खसरा नंबर 1079 रकबा 4.3100 है0 है यह कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में शामलाती कृषि भूमि है, जिस पर जमाबंदी में वर्णित हिस्से के अनुसार वादीगण रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है तथा अपने हिस्से पर काबिज काश्त है तथा शेष हिस्से के खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 9 हैं। सभी पक्षकारान अपने–अपने राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में वर्णित हिस्सो अनुसार मौखिक विभाजन के अनुसार नजरी नक्शा प्रदर्श 1 में वर्णित विभाजन के अनुसार अपने–अपने हिस्से की भूमि पर कृषि कर उपज प्राप्त करते आ

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

है तथा काबिज होकर काश्त करते आ रहे है तथा भूमि विवादग्रस्त में मौके पर भाजन करके अपने–अपने हिस्से पर काश्त कर उपज का उपयोग उपभोग कर लगान रकारी शामिल में जमा कराते आ रहे है। प्रतिवादीगण काफी उग्र स्वभाव का व्यक्ति है था बात–बात पर ही क्रोध में आ जाते है एवम् विवादग्रस्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में मलाती भूमि है तथा रिकॉर्ड शामलाती भूमि होने के कारण प्रतिवादीगण के मन में दनियति उत्पन्न हो गई है, इसलिए वादीगण की भूमि को हड़पक र वादीगण के हिस्से भूमि का नाजायज रूप से सम्पूर्ण भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहते है तथा वादीगण ो बेदखल करना चाहते है तथा भूमि का गैर कानूनी रूप से बेचान कर उपयोग उपभोग बाधा उत्पन्न करना चाहते है, जिस कारण से वादीगण को अपने विधिक अधिकारों की क्षा के लिए मान्य न्यायालय के समक्ष यह दावा बाबत् विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का स्तुत किया जाना आवश्यक हो गया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गए। तिवादीगण संख्या 1 लगा0 9 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये व प्रतिवादी संख्या 10 बाद ामिल उपस्थित नहीं अतः प्रतिवादी संख्या 10 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में ाई गई। वकील प्रतिवादी ने दिनांक 30.11.2022 को प्रतिवादी संख्या 5 लगा0 9 की ओर े " नो इन्सट्रक्शन" प्लीड किया तथा दिनांक 30.11.2022 को प्रकरण को प्राथमिक डिक्री केया जाकर तहसीलदार शाहपुरा से बंटवारा रिपोर्ट मंगवाई गई। प्रकरण में तहसीलदार ाहपुरा के पत्रांक/भू0अ0/2023/972 दिनांक 21.03.2023 से बंटवारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। ंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर वकील उभयपक्ष को सुना गया। वकील उभयपक्ष ने बंटवारा कुर्रेजात अनुसार वादपत्र को अन्तिम डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। बंटवारा प्रस्ताव सही होने से दावा अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया जाता है कि ग्राम बिदारा, पटवार हल्का बिदारा तह0 शाहपुरा के हाल खाता संख्या 394 के हाल आराजी खसरा नंबर 1079 रकबा 4.3100 है0 भूमि के खातेदारान के मध्य बंटवारा कर निम्नानुसार पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है –

1. मोतीराम पुत्र चौथूराम हि0 1/5 जाति अहीर (यादव) सा0 देह ढाणी देवा की बिदारा खातेदार राहिन हि0 1/5 (पूर्ण खाता) यूको बैंक शाखा शाहपुरा, रामदास पुत्र चौथूराम हि0 1/5 जाति अहिर (यादव) सा0 देह ढाणी देवी की बिदारा खातेदार राहिन हि0 1/5 यूको बैंक शाखा शाहपुरा, रामबक्स पुत्र चौथूराम हि0 1/5 जाति अहिर (यादव) सा0 देह ढाणी देवी की बिदारा खातेदार राहिन हि0 1/5 (पूर्ण खाता) एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड शाखा चौमू, रामेश्वर पुत्र चौथूराम हि0 1/5 जाति अहिर (यादव) सा0 देह ढाणी देवा की बिदारा खातेदार राहिन हि0 1/5 (पूर्ण खा[illegible]) यूको बैंक शाखा शाहपुरा, सीतराम पुत्र चौथूराम हि0 1/5 जाति अहिर (यादव) सा0 देह ढाणी देवा की बिदारा खातेदार राहिन हि0 1/5 (पूर्ण खाता) यूको बैंक शाखा शाहपुरा के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 1079/1 रकबा 1.4367 भूमि रहेगी।
2. गुलाब देवी पत्नि स्व0 मोहनलाल हि0 1/4 जाति ब्राह्मण सा0 देह ढाणी देवा की बिदारा खातेदार, मन्जू देवी पुत्री मोहनलाल हि0 1/4 जाति ब्राह्मण सा0 देह ढाणी देवा की बिदारा खातेदार, महावीर प्रसाद पुत्र मोहनलाल हि0 1/4 जाति ब्राह्मण सा0 देह ढाणी देवा की बिदारा खातेदार, सुरेश कुमार पुत्र मोहनलाल हि0 1/4 जाति ब्राह्मण सा0 देह ढाणी देवा की बिदारा खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 1079/3 रकबा 0.1553 है0, 1079/4 रकबा 0.02 है0 एवं 1079/5 रकबा 1.4410 है0 कुल किता 3 रकबा 1.6163 है0 भूमि रहेगी।
3. श्री लक्ष्मी महिमा कालोनाइजर प्रा0लि0 जरिये निदेशक अशोक मीणा पुत्र बी आर मीणा जाति [illegible] निवासी प्लाट नं0 194 प्रतापनगर विस्तार मुरलीपुरा जयपुर हि0

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

1/2 खातेदार, श्री लक्ष्मी महिमा कालोनाइजर प्रा0लि0 जरिये निदेशक रामचन्द्र अग्रवाल पुत्र बी एन अग्रवाल हि0 1/2 खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 1079/2 रकबा 1.2570 है0 भूमि रहेगी।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। वादी/प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नही करें। पर्चा डिक्री जारी। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हों।

निर्णय आज दिनांक 27/7/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मनमोहन मीना)
उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला जयपुर

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर(फा.ट्रे.) शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस
वाद संख्या :– 89/2022

शीर्षक

1. अशोक मीणा पुत्र बी आर मीणा निदेशक श्री लक्ष्मी महिमा कॉलोनाईजर प्रा0लि0 निवासी प्लाट नंबर 194, प्रताप नगर विस्तार, मुरलीपुरा, जयपुर।
2. रामचन्द्र अग्रवाल पुत्र बी एन अग्रवाल जाति महाजन निदेशक श्री लक्ष्मी महिमा कॉलोनाईजर प्रा0 लि0 निवासी प्लॉट नंबर 9–10, गोपाल नगर ए, गोपालपुरा बाईपास, जिला जयपुर।

–वादीगण

बनाम

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज. सत्यमेव जयते

1. गुलाब देवी पत्नी मोहन लाल
2. मंजू देवी पुत्री मोहनलाल
3. महावीर प्रसाद पुत्र मोहनलाल
4. सुरेश कुमार पुत्र मोहन लाल
5. समस्त जाति ब्राह्मण, ढाणी देवा की ग्राम बिदारा, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।
6. मोतीराम
7. रामदास
8. रामबक्श
9. रामेश्वर
10. सीताराम
11. पुत्रान चौथूराम जाति अहिर निवासी ढाणी देवा की, ग्राम बिदारा, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत् बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा–53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक 27/2/23

अतः तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया जाता है कि ग्राम बिदारा, पटवार हल्का बिदारा तह0 शाहपुरा के हाल खाता संख्या 394 के हाल आराजी खसरा नंबर 1079 रकबा 4.3100 है0 भूमि के खातेदारान के मध्य बंटवारा कर निम्नानुसार पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है –

1. मोतीराम पुत्र चौथूराम हि0 1/5 जाति अहीर (यादव) सा0 देह ढाणी देवा की बिदारा खातेदार राहिन हि0 1/5 (पूर्ण खाता) यूको बैंक शाखा शाहपुरा, रामदास पुत्र चौथूराम हि0 1/5 जाति अहिर (यादव) सा0 देह ढाणी देवी की बिदारा खातेदार राहिन हि0 1/5 यूको बैंक शाखा शाहपुरा, रामबक्स पुत्र चौथूराम हि0 1/5 जाति अहिर (यादव) सा0 देह ढाणी देवी की बिदारा खातेदार राहिन हि0 1/5 (पूर्ण खाता) एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड शाखा चौमू, रामेश्वर पुत्र चौथूराम हि0 1/5 जाति अहिर (यादव) सा0 देह ढाणी देवा की बिदारा खातेदार राहिन हि0 1/5 (पूर्ण खाता) यूको बैंक शाखा शाहपुरा, सीतराम पुत्र चौथूराम हि0 1/5 जाति अहिर (यादव) सा0 देह ढाणी देवा की बिदारा खातेदार राहिन हि0 1/5 (पूर्ण खाता) यूको बैंक शाखा शाहपुरा के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 1079/1 रकबा 1.4367 भूमि रहेगी।

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

2. गुलाब देवी पत्नि स्व0 मोहनलाल हि0 1/4 जाति ब्राह्मण सा0 देह ढाणी देवा की बिदारा खातेदार, मन्जू देवी पुत्री मोहनलाल हि0 1/4 जाति ब्राह्मण सा0 देह ढाणी देवा की बिदारा खातेदार, महावीर प्रसाद पुत्र मोहनलाल हि0 1/4 जाति ब्राह्मण सा0 देह ढाणी देवा की बिदारा खातेदार, सुरेश कुमार पुत्र मोहनलाल हि0 1/4 जाति ब्राह्मण सा0 देह ढाणी देवा की बिदारा खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 1079/3 रकबा 0.1553 है0, 1079/4 रकबा 0.02 है0 एवं 1079/5 रकबा 1.4410 है0 भूमि रहेगी।

3. श्री लक्ष्मी महिमा कालोनाइजर प्रा0लि0 जरिये निदेशक अशोक मीणा पुत्र बी आर मीणा जाति मीणा निवासी प्लाट नं0 194 प्रतापनगर विस्तार मुरलीपुरा जयपुर हि0 1/2 खातेदार, श्री लक्ष्मी महिमा कालोनाइजर प्रा0लि0 जरिये निदेशक रामचन्द्र अग्रवाल पुत्र बी एन अग्रवाल हि0 1/2 खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 1079/2 रकबा 1.2570 है0 भूमि रहेगी।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। वादी/प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नही करें।

निर्णय आज दिनांक 27/7/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मनमोहन मीना)
सहायक कलक्टर (का.दे.)
शाहपुरा, जिला जयपुर राज.

सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर)

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.
सत्यमेव जयते

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	